# न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टीए/3167/2002/अजमेर

1– प्रकाशमल पुत्र श्री गुमानमल नाहटा

2– गुमानमल पुत्र श्री सरदारमल नाहटा

निवासीगण श्रीचंद अब्बानी गली, नयाबास, ब्यावर जिला अजमेर।

....अपीलार्थीगण

बनाम

1– रणजीतमल पुत्र स्व श्री पारसमल नाहटा, जाति ओसवाल महाजन निवासी श्रीचंद अब्बानी गली, नयाबास, ब्यावर जिला अजमेर।

2– श्रीमति कमलेश पुत्री पारसमल नाहटा

3– श्रीमति सरोज पुत्री पारसमल नाहटा

4– श्रीमति मन्जू पुत्री पारसमल नाहटा

5– श्रीमति अंजना पुत्री पारसमल नाहटा

6– श्रीमति कंचन कंवर पत्नि पारसमल नाहटा

7– चेतनमल पुत्र पारसमल नाहटा

समस्त जाति ओसवाल महाजन निवासी श्रीचंद अब्बानी गली, नयाबास, ब्यावर जिला अजमेर।

....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री इन्द्र सिंह राव, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलार्थीगण।
श्री खड़गसिंह व श्री डूँगरसिंह, अधिवक्तागण प्रत्यर्थीगण।

––

## निर्णय

दिनांक20–06–18

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत राजस्व अपील

प्राधिकारी, अजमेर द्वारा अपील सं0 74/2002 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 20-05-2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- संक्षेप में द्वितीय अपील के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण के पिता ने एक वाद अपीलार्थी सं0 1 व 2 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के न्यायालय में मौका नून्द्री मालदेव तहसील ब्यावर के खसरा नं0 635,636 व 647 बाबत् वास्ते खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया। बाद सुनवाई उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने बाद सुनवाई अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30-08-2000 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 20-05-2002 द्वारा आंशिक स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 30-08-2000 को निरस्त कर प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह अपील मण्डल में पेश की गई है।

3- हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4- योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि जो अपील मीमों में अंकित तथ्य है, उसे ही उनकी बहस समझा जावें। योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित किया कि अधीनस्थ अपील न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए अपना निर्णय पारित किया है तथा बिना किसी वैधानिक कारण के विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप किया है तथा वादी अपने वाद को साबित करने में पूर्णतः असफल रहा तथा कई अवसर प्रदान करने के पश्चात् भी वाद में रूचि नही ली, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वाद को खारिज करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं की। उन्होंने यह भी अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि दिनांक 08-09-99 को प्रतिवादी सीयाराम का देहान्त हो चुका था, इस संबंध में वादी ने आज तक उसके नाम कायमी की कार्यवाही नहीं की, इस कारण वाद स्वंय अबेट हो चुका था। अधीनस्थ अपील न्यायालय ने मियाद के बिन्दू पर मात्र क्यास के आधार पर निर्णय

पारित कर अपील को अन्दर मियाद मानने में अवैधानिकता की है तथा केवल मात्र यह लिखा कि विपक्षी द्वारा काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किए जाने के कारण अपील अन्दर मियाद स्वीकार योग्य, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि विपक्षी को सम्मन तामील हो गए थे व जहां सम्मन तामील हो जाते है, वहां पर डेट ऑफ जजमेंट से लिमिटेशन मानी जाएगी। अपने इस तर्क के समर्थन में उन्होंने 1992 आर0आर0डी पेज 646 (खण्डपीठ) का हवाला दिया। अधीनस्थ अपील न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना सुने निर्णय प्रदान किया। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी स्वंय उपस्थित था तथा उसे निर्णय की पूर्ण जानकारी थी, ऐसी स्थिति में अपील खारिज होने योग्य थी। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि अधीनस्थ अपील न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं अभिलेख के विपरीत है, अतः अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20-05-2002 निरस्त किया जावें।

5- योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने उन्हें सुने बिना आदेश पारित किया, क्योंकि प्रत्यर्थी की किडनी फेल हो गई थी, उसके इलाज के लिए वह बैंगलोर गया था, ऐसी स्थिति में वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका किन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी व प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में रूचि नहीं लेने के कारण दावा खारिज किया, जो उचित नहीं है। उनका तर्क था कि विचारण न्यायालय को प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था। उनका तर्क था कि उन्होंने जानकारी की दिनांक से अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अन्दर मियाद पेश कर दी थी, ऐसी स्थिति में उन्होंने अपील को अन्दर मियाद शुमार करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं की। उनका तर्क था कि अधीनस्थ अपील न्यायालय का निर्णय उचित एवं विधिसम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः अपील खारिज की जावें।

6- हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा वाद इस आधार पर खारिज किया गया है कि वादी मात्र प्रकरण को चलाए रखने के लिए येन केन प्रकारेन तारीखे तब्दीले करवाता रहा है, ऐसी स्थिति में जब वादी एवं पक्षकारान स्वंय ही अपने दावों को सिद्ध नहीं करना चाहते तो वाद को चलाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उनके उक्त निष्कर्ष को उचित नहीं माना है। राजस्व न्यायालय के समक्ष वाद की कार्यवाही सिविल प्रक्रिया में दिए गए प्रावधानों के अनुसार की जाती है तथा इन प्रावधानों में किस स्थिति में क्या कार्यवाही की जानी है, स्पष्ट प्रावधित है। यदि वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं की गई थी तो न्यायालय का यह दायित्व था कि वे प्रतिवादी को साक्ष्य का अवसर देते तत्पश्चात् तनकियों के आधार पर वाद का निस्तारण करें। विचारण न्यायालय द्वारा इन प्रावधानों के विपरीत किसी अन्य आधार पर वाद को खारिज नहीं किया जा सकता है। हम प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष से पूर्णतया सहमत है तथा इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधिक स्थिति के अनुरूप वाद को नियमानुसार निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता इस द्वितीय अपील में नहीं है।

8– उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित किए गए निर्णय दिनांक 20–05–2002 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)<br>सदस्य

(इन्द्र सिंह राव)<br>सदस्य